



-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर में स्थित प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 80 रकबा 1.2950 हेक्टेयर बाराणी अव्वल, अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की आराजी खसरा संख्या 79 रकबा 3.2375 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 03 की आराजी खसरा संख्या 80/1 रकबा 1.2950 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी 80/2 रकबा 1.2950 के खातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा-विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।


 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पटवार भू-अभिलेख अधिकारी
 भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
 (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पटवार भू-अभिलेख अधिकारी
 भू-अभिलेख अधिकारी, जैतारण
 (जिला-ब्यावर)

